



पीडीएस में वितरित होने वाले केरोसीन के मामले में अंडर-रिकवरी अगस्त, 2017 में 7.02 रुपये प्रति लीटर रहेगी

Posted On: 01 AUG 2017 5:49PM by PIB Delhi

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) ने जुलाई, 2017 के लिए कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की समीक्षा की है। पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में वितरित होने वाले केरोसीन के मामले में अंडर-रिकवरी (नुकसान) 01 अगस्त, 2017 से 7.02 रुपये प्रति लीटर रहेगी। जुलाई, 2017 के पहले पखवाड़े में अंडर-रिकवरी 6.82 रुपये प्रति लीटर और अंतिम पखवाड़े में 6.57 रुपये प्रति लीटर रही। डीबीटीएल के अंतर्गत ग्राहकों को नकद राशि का हस्तांतरण 44.23 रुपये रहेगा, जिसमें से सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली नकद क्षतिपूर्ति 29.02 रुपये और उपभोक्ताओं को 'बगैर क्षतिपूर्ति वाली लागत' मद में ओएमसी से घरेलू एलपीजी पर मिलने वाली नकद क्षतिपूर्ति 15.21 रुपये होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की उत्पाद-वार अंडर-रिकवरी इस तरह है :

उत्पाद	इकाई	अंडर रिकवरी (1 अगस्त, 2017 से प्रभावी)	डीबीटीएल के तहत ग्राहक को नकद हस्तांतरण (1 अगस्त, 2017 से प्रभावी)
पीडीएस केरोसीन*	(रुपये प्रति लीटर)	7.02	-
उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी पर नकद क्षतिपूर्ति **	(रुपये प्रति सिलेंडर)	-	29.02
'बगैर क्षतिपूर्ति वाली लागत' के मद में ओएमसी द्वारा उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी पर नकद भरपाई**	(रुपये प्रति सिलेंडर)	-	15.21

* अंडर रिकवरी मुम्बई बाजार के लिए है।

** नकद सब्सिडी दिल्ली बाजार के लिए है।

वर्ष 2016-17 के दौरान अंडर-रिकवरी/डीबीटीएल सब्सिडी 19,728 करोड़ रुपये थी, जबकि वर्ष 2015-16 में यह राशि 27,571 करोड़ रुपये और वर्ष 2014-15 में यह राशि 76,285 करोड़ रुपये रही थी।

वीके/आरआरएस/वाईबी-3227

(Release ID: 1498009) Visitor Counter : 7

